न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 52/2020/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांकः 17.05.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

केसरीलाल आत्मज देवकरण जाति गुर्जर निवासी नीमोदा तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 26.09.2024

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 427/अपील/2023 बउनवान केशरीलाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2013 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, झालरापाटन द्वारा प्रकरण संख्या 379/2012 में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम निमोदा की आराजी खसरा संख्या 323/591 की 2.00 बीघा किस्म चारागाह में अवैध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 29.11.2012 से 69/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ के यहां अपीलांट द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 07.10.2013 से खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याया के सर्वथा विपरित है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई संतोषजनक कारण बताये मियाद बाहर होने से खारिज की गई जबकि अपील को मेरिट व न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अपील को अवधि मध्य माना जाना चाहिये था। विवादित आराजी पर अपीलांट ने मकान टापरी 30–40 वर्षो से भी अधिक समय से बना रखी है, जो विभिन्न नियमों की जद में आती है। न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन के द्वारा अपने निर्णय में कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि पूर्व में अपीलांट को कभी इसी आदेश की पालना में बेदखल किया जाकर

अति. सं.-आयुक्त 26-9-2024

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 52/2020/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांकः 17.05.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

केसरीलाल आत्मज देवकरण जाति गुर्जर निवासी नीमोदा तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 26.09.2024

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 427/अपील/2023 बउनवान केशरीलाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2013 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, झालरापाटन द्वारा प्रकरण संख्या 379/2012 में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम निमोदा की आराजी खसरा संख्या 323/591 की 2.00 बीघा किस्म चारागाह में अवैध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 29.11.2012 से 69/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ के यहां अपीलांट द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 07.10.2013 से खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याया के सर्वथा विपरित है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई संतोषजनक कारण बताये मियाद बाहर होने से खारिज की गई जबकि अपील को मेरिट व न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अपील को अवधि मध्य माना जाना चाहिये था। विवादित आराजी पर अपीलांट ने मकान टापरी 30–40 वर्षो से भी अधिक समय से बना रखी है, जो विभिन्न नियमों की जद में आती है। न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन के द्वारा अपने निर्णय में कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि पूर्व में अपीलांट को कभी इसी आदेश की पालना में बेदखल किया जाकर

अति. सं.-आयुक्त 26-9-2024

कब्जा आराजी राज लिया हो कोई निप्रय की प्रति या दखल नामा प्रस्तुत नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में सिविल सजा का आदेश निरस्त किये जाने योग्य था। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ का निर्णय दिनांक 07.10.2013 एवं न्यायालय तहसीलदार, झालरापाटन का निर्णय दिनांक 29.11.2012 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई संतोषजनक कारण बताये मियाद बाहर होने से खारिज की गई जबकि अपील को मेरिट व न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अपील को अवधि मध्य माना जाना चाहिये था। विवादित आराजी पर अपीलांट ने मकान टापरी 30–40 वर्षो से भी अधिक समय से बना रखी है, जो विभिन्न नियमों की जद में आती है। न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन के द्वारा अपने निर्णय में कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि पूर्व में अपीलांट को कभी इसी आदेश की पालना में बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी राज लिया हो कोई निप्रय की प्रति या दखल नामा प्रस्तुत नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम निमोदा की आराजी खसरा संख्या 323/591 की 2.00 बीघा किस्म चारागाह में अवैध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के कारण ही न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन निर्णय दिनांक 29.11.2012 से 69/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ ने भी अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षणोपरांत जेरअपील निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित उक्त हरदो निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, झालरापाटन द्वारा प्रकरण संख्या 379/2012 में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम निमोदा की आराजी खसरा संख्या 323/591 की 2.00 बीघा किस्म चारागाह में अवैध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 29.11.2012 से 69/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ के यहां अपीलांट द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 07.10.2013 से खारिज की गई। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई संतोषजनक कारण बताये मियाद बाहर होने से खारिज की गई जबकि अपील को मेरिट व न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अपील को अवधि मध्य माना जाना चाहिये था। अपीलांट के उपरोक्त तर्को के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ

अति. सं. आयुक्त 26-9-2024

न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अपीलार्थी केशरीलाल के द्वारा पटवारी हल्का सालरिया से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम निमोदा की आराजी खसरा संख्या 323/591 की 2.00 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण किये जाने पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 29.11.2012 से शास्ति आरोपित कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील परिसीमा में नहीं पेश किये जाने से निर्णय दिनांक 07.10.2013 से अपील खारिज की गई। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में ऐसे कोई साक्ष्य एवं तथ्य पेश नहीं किये गये है, जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती हो। साथ ही अपीलांट द्वारा मियाद के बिंदु पर संतोषजनक कारण न तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया और ना ही इस न्यायालय में पेश किया गया। चूंकि अपीलांट को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

26-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. सं. आयुक्त
कोटा